करेंट अफेयर्स 6 अक्टूबर 2022

केंद्र ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को 6 महीने के लिए बढ़ाया

खबरों में क्यों

हाल ही में केंद्र सरकार ने नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश में आफ्सपा कानून को और 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह अधिनियम राज्य और केंद्र सरकार को अफस्पा अधिनियम, 1958 के तहत अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है।

आफ्सपा अधिनियम, 1958 के बारे में

- नगा विद्रोह से निपटने के लिए 1958 में आफस्पा लागू किया गया था। बाद में इसका उपयोग सभी राज्यों में पूर्वोत्तर उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए किया गया था।
- यह अधिनियम सशस्त्र बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, वारंट के बिना किसी भी परिसर की गिरफ्तारी और तलाशी लेने और केंद्र सरकार की पवित्रता के बिना अभियोजन और कानूनी मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करने की निरंकुश शक्तियां देता है।
- वर्तमान में एएफएसएफए असम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू है।
- अधिनियम की धारा 3 के तहत, राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय के पास अफस्पा के तहत क्षेत्रों को अधिसूचित करने की समवर्ती शक्तियां हैं।

अफस्पा एक्ट को क्यों बरकरार रखा गया

- नगा शांति प्रक्रिया की परिणति के आसपास अनिश्चितता नागलान डी में अफस्पा में बने रहने के पीछे मुख्य कारण है।
- भूमिगत समूहों की आवाजाही को रोकने के लिए राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आफ्सपा की आवश्यकता थी।
- अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी अरुणाचल प्रदेश में अफस्पा के पीछे एक कारण है।

नागा मुद्दा क्या है?

केंद्र नगा राजनीतिक मुद्दे का समाधान खोजने के लिए नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवा) और सात नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप (एनएनपीजी) के साथ बातचीत कर रहा है। नगा शांति वार्ता में अहम भूमिका निभाने वाला इसाक-मुइवा धड़ा नगाओं के लिए एक अलग संविधान और एक अलग झंडा तथा पड़ोसी असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के नगा बहुल इलाकों को एकीकृत कर 'ग्रेटर नगालैंड' या नगालिम के निर्माण की मांग कर रहा है ताकि 12 लाख नगाओं को एकजुट किया जा सके। दुर्भाग्य से केंद्र सरकारग्रेटर नागालैंड के सी रीएशन के लिए रुचि लेने के लिए उत्सुक नहीं है।

आफ्सपा के साथ समस्याएं

- फर्जी मुठभेड़ों, न्यायेतर हत्याओं आदि जैसे अधिनियमों के प्रावधानों का दुरुपयोग।
- अफस्पा को भारतीय लोकतंत्र में एक कठोर, दमनकारी, औपनिवेशिक और पुरातन कानून के रूप में वर्णित किया गया है।
- आफ्सपा को अन्य सभी संवैधानिक अधिकारों जैसे गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ रोकथाम, निजता आदि के उल्लंघन के रूप में देखा जा सकता है।
- संवैधानिक मूल्यों, मानवाधिकारों और प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन।
- लोकतंत्र की विश्वसनीयता का अभाव - लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ लोगों के मोहभंग का अलगाववादियों और आतंकवाद से सहानुभूति रखने वालों द्वारा शोषण किया जाता है, जिससे अधिक हिंसा और अधिक हिंसा का दुष्चक्र पैदा होता है.
- आलोचकों का तर्क है कि यह अधिनियम लगभग 60 वर्षों से अस्तित्व में होने के बावजूद अशांत क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करने के अपने उद्देश्य में विफल रहा है।

समाप्ति

जिन चार राज्यों में आफ्सपा लागू था, वहां लागू करने के लिए अलग-अलग आधार हैं। इसलिए आफ्सपा को उस स्थिति से हटा देना चाहिए जहां स्थिति में सुधार हुआ है। साथ ही सरकार और सुरक्षा बलों को भी सुप्रीम कोर्ट, जीवन रेड्डी आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए.

हरस्टार्ट', एक मंच जो महिला उद्यमियों को सशक्त बनाता है

खबरों में क्यों

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय के एक स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म 'हरस्टार्ट' का शुभारंभ किया। महिलाओं के उद्यमशीलता के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के अलावा, 'हरस्टार्ट' पहल महिला उद्यमियों को विभिन्न निजी और सरकारी प्लेटफार्मों से भी जोड़ेगी।

उसके स्टार्ट का लाभ'

- यह मंच भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित करेगा।
- यह प्लेटफॉर्म महिलाओं को इंडस्ट्री और सरकार से जोड़ेगा। इस प्रकार वे अपनी गतिविधि में विविधता ला सकते हैं।
- यह मंच महिलाओं को नया ज्ञान प्राप्त करने में मदद करेगा।
- मंच विभिन्न सहायता सेवाएं प्रदान करेगा जैसे इनक्यूबेशन, प्रशिक्षण, विपणन, सलाह आदि।

भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका

भारत में एमएसएमई में महिलाओं की हिस्सेदारी 20.37 प्रतिशत है, जो श्रम बल का 23.3 प्रतिशत है। मैकिंजी ग्लोबल के अनुसार, भारत श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में संभावित रूप से 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर जोड़ सकता है। कृषि क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं का प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक है। इन क्षेत्रों को आमतौर पर परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने और उच्च घरेलू आय में योगदान करने में मदद करने का श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2011 में महिलाओं के बीच साक्षरता दर में 8.8% की वृद्धि हुई, जो देश की उज्ज्वल संभावनाओं को और उजागर करती है।

महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की पहल

महिला उद्यमिता फोरम

यह महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक प्रमुख मंच है। मंच महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रेरित करने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं और शैक्षिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

भले ही यह योजना सूक्ष्म/लघु उद्यम स्थापित करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को 10 लाख रुपये तक का संस्थागत ऋण प्राप्त करने में मदद करने के लिए शुरू की गई थी। लेकिन लोन लेने वालों में से ज्यादातर महिलाएं लेती हैं।

भारतीयमहिला बैंक बिज़नेस लोन

इस प्रकार के बिजनेस लोन की स्थापना 2017 में महिलाओं को संसाधनों की कमी के बावजूद किफायती क्रेडिट तक पहुंचने और बड़े सपने देखने में मदद करने के लिए की गई थी। 1 करोड़ रुपये से कम के लोन के लिए कोलैटरल फ्री लोन भी लिया जा सकता है।

देना शक्ति योजना

यह योजना कृषि, खुदरा और विनिर्माण जैसे कुछ क्षेत्रों में अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक महिला उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी। यह योजना आधार दर से 0.25% कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। अधिकतम ऋण आवेदन रु. 2 मिलियन है।

उद्योगिनी योजना

यह योजना 1.5 लाख रुपये की वार्षिक आय वाली महिलाओं के लिए है। यह उन महिलाओं के लिए 3 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान करता है जो व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं लेकिन पूंजी नहीं है।

समाप्ति

भारत में 15.7 मिलियन से अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यम हैं, जिनमें महिलाएं स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का नेतृत्व करती हैं। यह परिवर्तन स्पष्ट रूप से भारतीय महिलाओं की क्षमता और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करता है। आने वाले दशकों में, भारत एक बड़े परिवर्तन का गवाह बनने के लिए तैयार है, जिसमें महिलाएं कार्यबल पर हावी होने के साथ-साथ देश के भविष्य को आकार देने और बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक 30 मिलियन से अधिक महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों से 150-170 मिलियन नौकरियां प्रदान करने की उम्मीद है।